International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 21-12-2021, Accepted: 05-01-2022, Published: 21-01-2022
Volume 8, Issue 1, 2022, Page No. 40-41

औद्योगिक क्षेत्र में महिलाओं का बढ़ता योगदान

कमला पटेल
अतिथि विद्वान (अर्थशास्त्र), शासकीय, महाविद्यालय गाडासरई, डिण्डौरी, मध्य प्रदेश, भारत

सारांश
आज के औधोगिकरण के युग में पूर्व की तुलना में महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक, राजनैतिक स्थिति में अत्यधिक परिवर्तन हुआ है। विभिन्न संवैधानि अधिनियमों के कियानवयन एवं शिक्षा के प्रचार–प्रसार तथा लोकतांत्रिक मूल्यो के प्रभाव स्वरूप महिलाओ की स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। यदि व्यवहारिक रूप से देखा जाये तो कुछ अपबादो को छोड़ कर आज भी महिलाये आर्थिक क्षेत्र में भेदभाव का सिकार हो रही है महिलाओं की भागीदारी के विना किसी भी देश का आर्थिक विकास नहीं किया जा सकता। आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की समान भागीदारी के बावजूद न तो उन्हें पुरषो के समान अधिकार प्राप्त है, नाही सम्मान दिया जाता है। आज आवश्यकता इस बात कि है कि महिलाओं में स्वयं के ताकत की चेतना जाग्रत की जाये जिससे महिलाओं का कल्याण ही नहीं बलकि वे देश एवं सामाजिक विकास की प्रवर्तक भी बन सके। महिलाएं जब तक अपनी क्षमता व आत्मविश्वास को जाग्रत नहीं करेंगी तब तक वाह कारक उन्हे साशक्त नहीं बना सकती ।

मूल शब्दः नैतिक मूल्य, श्रम उपेक्षित दशाये रोजगार, असंगठित, समाजिक सुरक्षा, जानकरी का अभाव आदि

प्रस्तावना
आज देश के आर्थिक विकास में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। महिलाऐं परिवार बनाती हैं, परिवार घर बनता है और घर समाज बनता है तथा समाज से देश का निर्माण होता है। महिलाओं की क्षमता को नजरअंदाज करके समाज की कल्पना करना व्यर्थ है। किसी भी देश के विकास की स्थिति उस देश की महिलाओं की दशा देखकर ज्ञात की जा सकती है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् महिलाओं की स्थिति
भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् महिलाओं की स्थिति में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं। महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों में जो भी परिवर्तन हुए उसकी कल्पना सम्पूर्ण विश्व में नहीं की जा सकती है। स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार होने तथा औद्योगिकरण में प्रवेश से उनके आर्थिक जीवन में जो बदलाव हुआ इससे महिलाओं की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता कम होने लगी। संचार के साधनों समाचार पत्र, पत्रिकाओं के प्रकाशनों में वृद्धि से महिलाओं ने अपने विचारों को अभिव्यक्त करना प्रारम्भ कर दिया, जिससे उनका कार्यक्षेत्र देश के आर्थिक विकास में अत्याधिक व्यापक होता जा रहा है।

उद्देश्य
1. आर्थिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की कार्य दशाओं का अध्ययन करना।
2. उद्योगों में कार्यरत महिलाओं की आय का अध्ययन करना।
3. औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत महिला श्रमिकों की समस्याओं का अध्ययन करना।

परिकल्पना
1. आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की कार्य दशाओं में सुधार नहीं हुआ है।
2. औद्योगिक क्षेत्र में महिलाओं श्रमिकों को कार्य की समस्या नहीं है।

औद्योगिक विकास में महिलाओं का योगदान
औद्योगिकरण के इस युग में जहाँ एक ओर उनके नैतिक मूल्यों में परिवर्तन हुआ है वहीं दूसरी ओर आधुनिक चेतना के विकास में परिवर्तन हुआ है। वहीं आज वे देश के आर्थिक विकास को सम्पन्न कराने में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहीं हैं यही वजह है कि आर्थिक क्रिया कलापों में उनका योगदान दिखायी दे रहा है। आज के आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक कला एवं साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट भूमिका निभा रही हैं।

आधुनिक युग में महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में अत्यधिक परिवर्तन हुआ है। विभिन्न संवैधानिक अधिनियमों के क्रियान्वयन एवं शिक्षा के प्रचार–प्रसार से महिलाओं की स्थिति में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ है।

आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाऐं अग्रिम पंक्ति में खड़ी देखी जा रही हैं। वे आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं शैक्षणिक क्षेत्रों में महिलाऐं अपनी ईमानदारी, कर्मठता तथा कर्तव्यनिष्ठा से देश व समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

प्रस्तुत शोध पत्र द्वितीयक समंको से लिये गये हैं जिसमें विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं तथा समाचार पत्रों एवं वेबसाइट्स के माध्यम से प्राप्त किये गये हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाऐ
शहरी क्षेत्रों में महिला एवं पुरुषों में अन्तर तेजी से गायब होता जा रहा है किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाऐं अभी भी पिछड़ी एवं उपेक्षित दशाओं में कार्य करने के लिए मजबूर हैं। यहाँ अशिक्षा का प्रतिशत भी अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कृषि कार्य महिलाओं के माध्यम से किया जाता है, खदानों, कारखानों में वृक्षारोपण, मछली पालन, पशुओं की देखरेख के कार्यों को महिलाओं द्वारा किया जाता है। किन्तु अब भारत सरकार ने सेवा क्षेत्र में महिलाओं को आरक्षण दिया है जिससे महिलाओं के लिये रोजगार की रूपरेखा में परिवर्तन आने लगा है। लेकिन निरक्षर महिलाओं की स्थिति अभी भी दयनीय है।

सरकार द्वारा संचालित योजनायें एवं महिलाओं का अधिकार

भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न स्तरों पर अनेक कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है। महिला उत्थान के लिए सरकार द्वारा संचालित योजनायें– इन्दिरा महिला एवं बाल विकास योजना, बालिका स्मृद्धि योजना, ग्रामीण महिला विकास योजना, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना, महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई है जिनके प्रभाव स्वरूप आज महिलाऐं पूर्व की तुलना में सामान्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बढ़–चढ़कर भागीदारी कर रही हैं।

सरकार द्वारा महिलाओं के विकास हेतु अनके संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने से समाज में भी उनके अधिकारों में वृद्धि हो रही है जिसके कारण उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति में अत्यधिक सुधार हुआ है।

भारत में महिला श्रमिकों की समस्यायें

भारत में महिला श्रमिको कों न तो कोई सामाजिक सुरक्षा है, न ही काम के निश्चित घण्टे। प्रतिस्पर्धा के कारण अपने काम को बचाये रखने के लिये महिलाऐं देर तक अपनी क्षमता से अधिक कार्य करती हैं जो इनकी बीमारियों का कारण भी बनता है। किन्तु आज भी महिला श्रमिक सामाजिक सुरक्षा, समान पारिश्रमिक, कामगार व्यवस्था, मातृत्व अवकाश, कानूनी सहायता आदि से वंचित है। अकसर यह देखा जाता है कि गर्भावस्था का पता चलते ही महिला श्रमिकों को काम से निकाल दिया जाता है क्योंकि इस अवस्था में वे अधिक देर तक मेहनत वाले काम नहीं कर सकती हैं।

रोजगार की तलाश में महिलाऐं गाँवों से शहरों की ओर पलायन करती हैं जिससे वे कई बार दलालों और असामाजिक तत्वों के चुंगल में फंस जाती हैं और मानव तस्करी से लेकर यौन शोषण का शिकार हो जाती हैं। भारत में दूसरों के घरों में काम करने वाली महिला श्रमिकों की संख्या अत्याधिक़ है। यह एक बड़ी श्रम शक्ति है जो श्रमिक होने के बावजूद औपचारिक रूप से श्रम कानूनों के ज्ञान से वंचित हैं।

भारत में महिलाओं को समानता का अधिकार तो दिया गया है किन्तु आज भी पुरुष मानसिकता महिलाओं को दोयम दर्जे की दृष्टि से देखा जाता है। समाज में पुरुषों का एक बड़ा वर्ग उनकी स्वतंत्रता को सन्देह की दृष्टि से देखा जाता है तथा उन्हें अपने समान दर्जा देने में अपना अपमान समझता है। पुरुषों की इसी अनैतिक मानसिकता के कारण देश में महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों में वृद्धि हुई है। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने की दशा में महिलाऐं भी पुरुषों की भांति स्वतंत्रतापूर्वक रहकर अपना जीवन यापन करना चाहती हैं।

किसी भी देश की आधी आबादी महिलाओं की होती है और उनके विकास के बिना किसी भी देश का विकास सम्भव नहीं है किन्तु जागरूकता के आभाव में सरकार द्वारा बनाये गए श्रम कानून और नीतियों का लाभ इन्हें नहीं मिल पा रहा है।

सुझाव

हमें देश की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के साथ ही कार्यस्थलों पर व्याप्त भेदभाव एवं महिला सुरक्षा संबंधी चुनौतियों को दूर करने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को अपनाया जाना चाहिए। असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहीं महिलाओं के लिए सरकार को लक्षित योजनाओं (प्रशिक्षण सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा आदि) के साथ अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी और उनके हितों की रक्षा सुनिश्चित करने से जुड़े प्रयासों पर विशेष ध्यान देना होगा।

कार्य स्थल पर महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए यातायात साधनों का विस्तार करना होगा तथा उच्च शिक्षा तथा पेशेवर प्रशिक्षणों में सम्मिलित होने के लिए महिलाओं को सहयोग प्रदान करना होगा साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की पहुँच को मजबूत करना होगा।

शिक्षा एवं विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं की मानसिकता में परिवर्तन लाना होगा और उन्हें बेटा–बेटी के भेदभाव के अन्तर को मिटाना होगा। चूंकि महिलायें परिवार की आधारशिला होती हैं उन्हें समाज और परिवार में बालिकाओं को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा जिससे महिला और पुरुषों की मानसिकता में परिवर्तन आयेगा।

निष्कर्ष

अतः हम कह सकते हैं कि आज भारत में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान करने के लिये शिक्षा, रोजगार एवं सार्वजनिक जीवन के अन्य क्षेत्रों में विशेष संरक्षण की नीति अपनायी जा रही है। महिला शिक्षा के प्रचार–प्रसार से उनमें न केवल जागरूकता आयेगी बल्कि महिलाओं में आत्मनिर्भरता आयेगी जिससे स्त्री–पुरुष विभेद की स्थिति में कमी आयेगी।

संदर्भ

1. गुप्ता रमनिका (2006)– कामकाजी महिलाओं के प्रति मानसिकता में बदलाव श्रमिक संघों की भूमिका, स्त्री विमर्श शिल्पायन, वेस्ट गोरख पार्क, शाहदरा, दिल्ली पृष्ठ ... 156 से 161
2. Bhalla GS. Globalisation and Employment Trends In India; The Indian Journal of Labour Economics, 2008, 1- 23.
3. गुगल वेबसाइट https://labour.gov.in women labour– महिला श्रमिकों की समस्यायें
4. डॉ. अनुपम अग्रवाल (2020) – महिला समानता, एस.बी.पी. डी. पब्लिकेशन्स, पृ. 124 से 131
5. डॉ. डी.एस. बघेल (2015) – ''भारतीय समाज'' कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल पृ. 143 से 147